न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सागवाडा,जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार गढवाल,आर जे एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 185/2023 (सी.आई.एस.नं. 185/2023)

भगु पिता सुखा उम्र 47 वर्ष निवासी बुचिया छोटा, कमजी फला, पुलिस थाना सरोदा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। ..... प्रार्थी–अभियुक्त

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नं 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंरगपुर

.....विपक्षी–अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
सेशन प्रकरण संख्या 27/2023, सरकार बनाम भगु वगैरह बाबत एफ.आई. आर. संख्या 39/2023 पुलिस थाना सरोदा
अन्तर्गत धारा– 302, 201 भादंसं

उपस्थितिः–
1. श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री आजाद शाह –विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक 13.06.2023

1. प्रार्थी–अभियुक्त भगु की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विविध फौजदारी प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है। उसे इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। उसके द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। मुलजिम के विरूद्ध पूरी पत्रावली में मोटिव की कोई साक्ष्य नहीं है तथा पूरी पत्रावली में किसी प्रकार की न तो कोई लिंक एवीडेंस है जो मुलजिम को उक्त अपराध से जोडती हो। पुलिस द्वारा पूरी पत्रावली में मात्र अभियुक्त के कपडों की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त बनाया है, जबकि यह बरामदगी अभियुक्त को अपराध से किसी प्रकार से जोडने में मदद नहीं करती है। मुलजिम आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। पूर्व प्रकरण दर्ज नहीं है। अत्यंत ही गरीब होकर एकमात्र कमाने वाला है। अंततः जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

4. प्रार्थना पत्र पर दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक/संबंधित थानाधिकारी द्वारा पत्रावली में अभियुक्त से पूर्व सजायाबी/पूर्व प्रकरण दर्ज होने की निम्न रिपोर्ट की है:–

कम संख्या	अभियुक्त/ प्रार्थी का नाम	एफ.आई.आर. नंबर मय थाना	अपराध धारा	न्यायालय का नाम	एफआईआर दर्ज दिनांक	गिरफ्तारी की दिनांक	पूर्व में जमानत पर छोडे जाने की दिनांक	वर्तमान स्टेज
1	भगु	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

5. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया, सेशन पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.04.23 को परिवादी कपिल जैन ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सरोदा के समक्ष इस आशय की पेश की कि, दिनांक 19.04.2023 को मैं गांव गडा झुमजी गांव में किराणा की दुकान करता हूं। दुकान पर मैं और मेरी मां आज दिन में करीबन 12:30 बजे दोपहर मे और मेरी मां दुकान पर थे। तब मेरे गांव की श्रीमति संसर दौडती हुई आयी और कहा कि महेश भाई खुन से लथपथ उनकी दुकान के आधे अंदर व आधे बाहर पडे हुए है और उल्टी हो रही है। जिस पर मैं तुरन्त ही अपनी कार चालु कर महेश भाई की दुकान पर पहुंचा तो महेश भाई खुन से लथपथ पडे हुए थे, जिससे मैंने दिपु रेबारी, बतीलाल रेबारी और मैंने कार में डालकर बुचीया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गये तो वहां डॉक्टर साहब ने आगे ले जाने को कहा। जिस पर महेश भाई को झील हॉस्पीटल लाए। जिस पर डाक्टर साहब ने कहा कि उनको आगे सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। जिस पर हम सरकारी अस्पताल सागवाडा लाये, जहां पर महेश भाई की मृत्यु हो जाना बताया। जिस पर महेश भाई की लाश देखी तो उसके सीने में बाई तरफ धारदार हथियार का घांव गहरा पाया गया व बाए हाथ की हथेली के पिछे भी चोट का निशान पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने महेश भाई को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। इत्यादि...पर पुलिस थाना सरोदा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2023 अपराध अंतर्गत धारा 302 भादंस में दर्ज कर अनुसंधान के दौरान इस मुलजिम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भादंसं का बनना प्रमाणित मान चार्जशीट दिनांक 12.07.2023 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा के समक्ष पेश की, जहां से यह प्रकरण कमिट होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2023 को पेश हुआ और उस दिन मुझ पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने पर दिनांक 02.08.2023 को

दर्ज रजिस्टर का आदेश दिया गया।

7. मुलजिम भगु के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भादंसं का गंभीर प्रकृति का हत्या जैसा जघन्य अपराध का आरोप है। मुलजिम द्वारा चाकू जैसे हथियार से मृतक महेश जैन जो कि दुकानदार था, उसकी हत्या करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। पुलिस ने बाद अनुसंधान उक्त मुलजिम भगु के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भादंस में चार्जशीट दिनांक 12.07.2023 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा के समक्ष प्रस्तुत की और अन्य सहअभियुक्त नारायण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 201 भादंसं में प्रस्तुत की, जिसमें अभियुक्त नारायण के विरूद्ध जमानतीय अपराध होने से उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत पर छोडे जाने का आदेश दिया गया और उक्त मुलजिम भगु के विरूद्ध हत्या का आरोप होने से प्रकरण दिनांक 25.07.2023 को इस न्यायालय में कमीट होकर प्रस्तुत हुआ और प्रकरण बहस चार्ज हेतु दिनांक 14.08.2023 को नियत है। प्रकरण में अभी बहस चार्ज होनी शेष है। इस स्टेज पर विद्वान अधिवक्ता मुलजिम द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में उठाये गये तर्को के आधार पर संपूर्ण प्रकरण को झूठा करार नहीं दिया जा सकता है। इस स्टेज पर मुल्जिम को जमानत का लाभ दिये जाने पर गवाहान को टेम्परविथ किये जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ।

आदेश

8. फलस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त भगु पिता सुखा उम्र 47 वर्ष निवासी बुचिया छोटा, कमजी फला, पुलिस थाना सरोदा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के प्रावधान के तहत प्रस्तुत यह जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)

8. आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)